वित्तीय स्वीकृति

संख्या-20/535/52-3-14-बजट(07)/2014

प्रेषकए

देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभ□□-3, □□□□, दिनांक अप्रैल, 2014

विषयः.वित्तीय वर्ष 2014-15 में 100 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मासिक वेतन आदि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (3□ □□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (□□'व्ययक) □□□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ब□-1-975(□-2014-231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 के प्रस्तर-2(1) व प्रस्तर-2(6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 100 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मासिक वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित धनराशि 0 60,00,00,00,000/- (रू0 साठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष चार माह वे

पारित लेखानुदान की धनराशि रू0 20,00,00,000/-(रू0 □□□ □□□□ मात्र) स्वीकृत करते हुये निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:.

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंकध्डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वी त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि विवरणध्उपयोगिता प्रमाण.पत्र शासन को म , 2014 तक उपलब्ध □□□□ □□□□□

(4) □□□□□ □□ □□□□ (□□टमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य □□□□/□न्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होए उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 □□ □□ □□ व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 22014-15 □□ □□- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य

शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-3□ □□□□□-10-100 □□□ आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को □□□□-31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□) □□□□□□□□ □□□□

4- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ब□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-535(1)/52-3-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□

2-□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, □□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□

4-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,704, □□□□ □□□, □□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-0(02 प्रतियों में)/□□□□ □□□□-3 □□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□

http://sikshasanchalak.up.nic.in